U;k;ky; HkkiclU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy ikf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 07@2004

1. प्रहलाद पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी वार्ड न0 4 कस्बा सुजानगढ जिला चूरू ।

vihykV

cuke

1. मीनादेवी पुत्री बिडदीचंद जाति ओसवाल निवासी सुजानगढ जिला चूरू ।
2. महेन्द्र पुत्र बिडदीचंद जाति ओसवाल निवासी सुजानगढ जिला चूरू ।
3. अमरीत पुत्र बिडदीचंद जाति ओसवाल निवासी सुजानगढ जिला चूरू ।
4. माणकचंद पुत्र रामलाल जाति ओसवाल कुचेरिया सुजानगढ जिला चूरू ।
5. सम्पतलाल पुत्र रामलाल जाति ओसवाल कुचेरिया सुजानगढ जिला चूरू ।
6. विजयकंवरी पुत्री रामलाल जाति ओसवाल कुचेरिया सुजानगढ जिला चूरू ।
7. कान्ताकंवरी पुत्री रामलाल जाति ओसवाल कुचेरिया सुजानगढ जिला चूरू ।
8. निर्मलाबंवरी पुत्री रामलाल जाति ओसवाल कुचेरिया सुजानगढ जिला चूरू ।
9. स्व0 भंवरलाल पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरू ।

9.1 गंगाराम पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरू ।

9.2 राजुराम पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरू ।

9.3 मांगली पुत्री स्व0 भंवरलाल पत्नी चुनाराम जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरू ।

9.4 कमला पुत्री स्व0 भंवरलाल पत्नी पेमाराम जाति माली निवासी मालियों की ढाणी तहसील व जिला सीकर ।

9.5 गणेसी पुत्री स्व0 भंवरलाल जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरू ।

10. नन्दलाल पुत्र कोडाराम जाति माली निवासी सुजानगढ जिला चूरू ।
11. उपपंजीयक अधिकारी तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:04:14 IST
Reason: SelfAttested

jLiksMsUV

13. मोहनलाल उर्फ नानुराम पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी सुजानगढ ।

14- कालुराम पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी सुजानगढ ।

xk.k jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री सुरेन्द्र जाखड़ अधिवक्ता अपीलांट

2. श्री देवेन्द्र कुमार चोटिया रेस्पोडेन्ट

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh lqtkux< ds fu.k; ,oa fMØh fnukad 08-08-2003 ds fo:} vihy vUrxZr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—27.10.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय एव डिक्री दिनांक 08.08.2003 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 1340 तादादी 1.17 बीघा रोही मोजा सुजानगढ में खातेदारी भूमि है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुऐ वाद वादी खारिज कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 1340 तादादी 1.17 बीघा रोही मोजा सुजानगढ में अपीलांट की खरिदशुद्वा बाड़ी है जिसमें उसका पुराना कब्जा काश्त व मलकियत है । इस भूमि की खातेदारी अचरज देवी पत्नी श्रीचंद जाति ओसवाल के नाम से अंकित है । अचरज देवी ने अपने जीवनकाल में बिडदीचंद पुत्र चन्दनमल जाति ओसवाल निवासी सुजानगढ जो रेस्पो0 सं0 1 ता 3 के पिता है को अपने पास छोटी अवस्था में रखा तथा विवादित भूमि का मालिक बिडदीचंद को बना दिया । अचरज देवी का स्वर्गवास सन 1956 से पहले हो गया । विवादित भूमि को बिडदीचंद के द्वारा अपीलांट को मौखिक रूप से बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया तथा दिनांक 24.03.90 को [illegible] अपीलांट के पक्ष में लिख दिया । अपीलांट व गौण रेस्पो0 द्वारा इस प्रकार [illegible] का प्रतिफल अदा करके विधिवत कब्जा प्राप्त कर खरिद की गई भूमि पर एडवर्स [illegible] के आधार पर निर्बाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है [illegible] अधिनस्थ न्यायालय में एक घोषणात्मक दावा राजस्व रेकार्ड में अंकन [illegible] प्रस्तुत किया गया जिसे मौखिक व लिखित साक्ष्यों से भलिभांति साबित करने का प्रयास किया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसे साबित न मानकर खारिज कर दिया गया । रेस्पो0 / प्रतिवादीगणों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:04:14 IST
Reason: SelfAttested

विधिवत तामिल करवाई गई एवं अखबार में सम्मन साया करवाया जाकर रेस्पोडेन्टान को तलब किया गया परन्तु बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रेस्पो0/प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर नही आये और ना ही किसी प्रकार का ऐतराज आपत्ती पेश की । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/प्रतिवादीगणों द्वारा दावे में प्रस्तुत साक्ष्यों सबुतो का विरोध नही किये जाने के बाद भी दावा खारिज किया जाना न्यायोचित नही रहा है । रेस्पो0 द्वारा दावे का कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नही किये जाने पर अपीलांट का दावा स्वंय प्रमाणित था और अपीलांट द्वारा अपने दावे के पक्ष में गिरदावरीयां, ईकरारनामा व प्रतिवादीगण एवं अपीलांट सं0 1 ता 3 के द्वारा की गयी घोषणा दस्तावेज, बयान अहम लिखित व मौखिक साक्ष्य पेश कर दावा साबित करने का पुर प्रयत्न किया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी पर कोई गौर न फरमाते हुऐ और ना ही आवश्यकतानुसार तनकीयात कायम किये बिना दावा डिक्री किया जाना विधि विरूद्व है । अपीलांट/वादी के हक में 1990 में लिखित ईकरारनामा यह साबित करता है कि वादगत कृषि भूमि को अपीलांट द्वारा उचित प्रतिफल अदा करके विधिवत खरिद कर विधिवत कब्जा प्राप्त किया है । विवादित खसरा रेस्पो0 द्वारा लम्बे अर्से से बतौर मालिक बेहेसियत खातेदार काश्तकार के काश्त किया जाता रहा हे । उसके नाम से ही गिरदावरियां है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गये मौका कमिश्नर के रिपार्ट में विवादित भूमि पर मकानात पुख्ता व पक्के है जो अपीलांट व गौण रेस्पोडेन्ट के है । कुआ बना हुआ है । तीन तरफ पक्की दिवारे व बिजली का वर्षो पुराना कनैक्शन भी है । अपीलांट/गौण रेस्पो0 का वर्षो पुराना कब्जा काश्त साबित होने के बावजुद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा खारिज किया जाना व तनकियात न कायम कर दावा खारिज करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2003 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पो0पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 1340 तादादी 1.17 बीघा रोही मोजा सुजानगढ की खातेदारी अचरज देवी के नाम से रही है । अपीलांट द्वारा अपने दावे में अंकित किया कि अचरज देवी ने अपने जीवनकाल में बिरदीचंद को छोटी अवस्था में अपने पास रखा तथा भरणपोषण किया व मु0 अचरज देवी ने बिरदीचंद को बाडी का मालिक घोषित कर दिया व अचरज देवी के स्वर्गवास के बाद बिरदीचंद का वादगत भूमि पर कब्जा काश्त रहा परन्तु पत्रावली में वादी की और से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह माना जा सके की मु0 अचरज देवी ने विवादित भूमि का उत्तराधिकारी बिरदीचंद को घोषित किया है इसलिये बिरदीचंद के द्वारा वादी के पक्ष में ईकरारनामा व [illegible] किये गये बेचान का कोई महत्व नही है क्यों कि बिरदीचंद का वादग्रस्त भूमि पर अधिकार भी संदिग्द है । अपीलांट/वादी द्वारा मात्र संवत 2032–33 की गिरदावरी अपने नाम से प्रस्तुत की है जिससे वाद साबित नही होना है । अपीलांट/वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य एवं बयान प्रस्तुत किये है किन्तु कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है । बिना दस्तावेजी साक्ष्य के समर्थन में मौखिक बयानो का विशेष महत्व नही रहता है । अत अधिन्स्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:04:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2003 को यथावत रखा जावे व अपील अपीलांट की खारिज की जावे।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेण्ट पक्ष की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 1340 तादादी 1.17 बीघा भूमि पर अपीलांट/वादी का वर्षो पुराना कब्जा काश्त रहा है वादगत भूमि पर अपीलांट/वादी का कच्चा पक्का निर्माण कुण्ड कुंआ आदि का निर्माण किया हुआ है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में इकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए दावा वादी खारिज किये जाने से पूर्व नियमानुसार तनकियात कायम कर साक्ष्य सबुत मांगकर तनकियात का निर्णय करते हुऐ दावा डिक्री किया जाना चाहिये था जो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अमल में नही लाया गया और सिधे ही दावा खारिज कर डिक्री किया जाना यह न्यायालय उचित नही समझता है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2003 को खारिज कर प्रकरण प्रतिपेषित रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वो वादगत भूमि से संबंधित सभी पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करवाते हुए साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करवाते हुए पूनः निर्णय पारित करे पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

6. निर्णय आज दिंनाक 27.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkkx icU/k vf/kdkjh ,oa
inu jktLo vihy ikf/kdkjh
chdkusj

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:04:14 IST
Reason: SelfAttested